

From,

Rajesh Kumar-II
Additional District & Sessions Judge,
Court No.-3, Firozabad.

To,

The Registrar General,
Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.

Through,

The District & Sessions Judge,
Firozabad.

Subject:- Representation against the adverse remarks for the year 2020-2021 recorded by the Learned District & Sessions Judge, Firozabad.

Sir,

1. I have the honour to submit that I was posted as Principal Judge Family Court Firozabad from 01-04-2020 to 06-08-2020 and Additional District & Sessions Judge, Court No.-3 (Special Judge, U.P. Gangsters and Anti Social Activities (Prevention) Act, 1986) from 07-08-2020 to 31-03-2021. The annual confidential remarks for the year 2020-2021 were recorded by the Learned District & Sessions Judge, Firozabad. Having gone through the remarks recorded by Learned District Judge, Firozabad for the year 2020-2021 on E-service portal on date 16-06-2021, this fact/thing came in to light that the remarks recorded by Learned District Judge, Firozabad in column No.- 01(a), 01(b), 01(e)(iv), 01(f), 01(f)(i), 01(f)(ii), 01(f)(iii), 01(h), 01(i), 01(m), 2 and 4 are adverse.

2. The remarks recorded in above mentioned columns are as under:-

Column No	Subject for remarks	Remarks recorded by the Learned District Judge, Firozabad
01 (a).	Integrity of the Officer-whether beyond doubt, doubtful or positively lacking	Doubtful, several verbal complaints from bar regarding corruption have been received. Numerous transfer applications were also moved against him alleging extraneous consideration . I tried to make him change his attitude but all in vain. Several warnings and demi official letters were also served but no improvement has been seen.
Note- If the officer's integrity is doubtful or positively lacking, it may be so stated with all relevant facts, reason(s) & supporting material.		

01 (b).	If he is fair and impartial in dealing with the public and Bar?	The Officer is not fair in dealing with the public and Bar.
01 (e) (iv).	Progress and disposal of execution cases:	03 execution cases have been shown pending but no execution case has been decided.
01 (f).	Whether Judgment on facts and on law are on the whole sound, well-reasoned and expressed in good language?:	Average
01 (f)(i).	Marshalling of facts;	Satisfactory
01 (f) (ii).	Appreciation of evidences;	Average
01 (f) (iii).	Application of law.	Poor
01 (h).	Control over the Office and Administrative capacity and tact:	The officer lacks control over the office and owns average administrative capacity.
01 (i).	Relations with members of the Bar(mention incidents, if any):	Not cordial
01 (m).	Whether amenable to the advice of the District Judge and other superior officers?	Not at all amenable to the advice of the District Judge.
2.	Over all assessment of the merit of the officer. (Outstanding, Very Good, Good, Average, Poor)	Poor
4.	Other remarks, if any:	The officer has been advised to improve his integrity towards his work and loyalty towards his District Judge.

3. I want to draw the kind attention of the Hon'ble Court towards the

remarks recorded by Learned District Judge, Firozabad in column No. 01(a) which relates to the integrity of the officer. The Learned District Judge has recorded my integrity as doubtful, but the Learned District Judge has not mentioned the supporting material regarding my integrity, even a single complaint in writing from the bar or the litigents regarding corruption has not been received to the respected District Judge, Firozabad and the Hon'ble court as well during period from 01-04-2020 to 31-03-2021 (herein after referred to as year under assessment). Neither the copy of any complaint/letter was furnished to me by the Learned District Judge, Firozabad, nor any demi-Official letter/warning letter was served upon me during the year assessment. No copy of demi-Official letter/letter or complaint has been attached with the remarks as supporting material regarding my integrity. So far as the question of moving numerous transfer applications is concerned, in that regard I have to submit that only three transfer applications were moved against me, during the year under assessment. In all these three transfer applications, there were no allegations regarding extraneous consideration. One transfer application was rejected by the Learned District Judge, Firozabad and two transfer applications were allowed on the ground that the officer concerned (I, the applicant) has no objection on transfer of the case to another court. The copies of three transfer applications are being attached with this representation for kind perusal of the Honourable Court. On the other hand I am fully devoted to my duty/job. In spite of period of Covid-19 pandemic/closure of the court, I had achieved units which is more than the required units during the year under assessment.

4. I have completed my judicial service of 20 years till now. Before the remarks recorded by Learned District Judge, Firozabad, no other District Judge has recorded my integrity as doubtful. All the District Judges 'except the present District Judge, Firozabad, has certified my integrity as beyond doubt. In the year 2019-2020, the Learned District Judge has recorded overall assessment of the officer as outstanding. Several District Judges have also rated my as very good officer or good officer.

5. Regarding the remarks in column No.01(b), I have to submit that I am fair in dealing with public and bar. The learned District Judge has not mentioned any incident/ untoward incident in his remarks, recorded in column No.01(b). I want to draw the kind attention of the Hon'ble court regarding the remarks recorded in column No.01(e)(iv) which relates to progress and disposal of execution cases. Although The District Judge, Firozabad has mentioned about three execution cases, but only two execution cases were pending for disposal. Both the execution cases have been stayed by Hon'ble High Court. Hence no question arises to disposal of the execution cases. I had also mentioned this fact about the stay of the execution cases by the Hon'ble

High Court in my statement sent with my self assessment form for the year under assessment. Copy of the statement is also being attached herewith for kind perusal and ready reference of the Hon'ble Court.

On the other hand, the Hon'ble Court has deleted/omitted the column of execution and disposal of cases from the new proforma of application for self assessment on E-service portal of the Judicial officers.

6. In regarding with remarks recorded in column No.01(f)(i), 01(f)(ii), 01(f)(iii), I have to submit that my judgements on facts and on law were on whole sound well reasoned and expressed good language, marshalling of facts, appreciation of evidence and applications of law are on the whole sound and well-reasoned and good. The Hon'ble Court, if it thinks fit & proper may peruse my judgements which are attached along with my application for self assessment.

7. I want to draw the kind attention of the Hon'ble Court regarding the remarks recorded in column No.01(h) and 01(i), in which the Learned District Judge has mentioned the officer lacks control over the office and owns average administrative capacity. The relation with members of Bar not cordial, but the learned District Judge has not mentioned any incident in this regard. The Learned District Judge, Firozabad had mentioned in his annual inspection of my court dated 27-01-2021 that the officer has effective control over the office and its employees. The work of the court is being performed in proper way. Copy of the 'relevant page' is also being attached herewith for kind perusal of the Hon'ble Court. Hence, the remark is self-contradictory.

8. In regard to remarks recorded in column No.01(m), I have to submit that the Learned District Judge has recorded 'officer not at all amenable to the advise of the District Judge' but the respected District Judge has not mentioned any reason or incident in this regard. I am amenable to the advise of the Learned District Judge and Superior Officers. I have never disobeyed the advise of the Learned District Judge and other superior officers. The District Judge has never given a warning to me regarding my integrity. My judicial career depends upon the kind hands of the Hon'ble Court, If the above mentioned adverse remarks are not expunged by the Hon'ble Court, my future will be ruined.

9. Hence, as per above discussed facts and reason, the remarks recorded by the Learned District Judge Firozabad in column No.01(a), 01(b), 01(e)(iv), 01(f), 01(f)(i), 01(f)(ii), 01(f)(iii), 01(h), 01(i), 01(m), 2 and 4 are arbitrary, unwarranted, without any supporting material and evidence. All these remarks are not tenable/sustainable and liable to be expunged. My overall assessment of the year 2020-2021 is liable to be upgraded as very good or good as the Hon'ble Court may thinks fit and profer from poor.

(5)


10. I, therefore, humble request you to kindly place my representation before the Hon'ble Court for sympathetic consideration to expunge the remarks recorded in column No.01(a), 01(b), 01(e)(iv), 01(f), 01(f)(i), 01(f)(ii), 01(f)(iii), 01(h), 01(i), 01(m), 2 and 4 recorded by respected Learned District Judge, Firozabad, for the year under assessment i.e. 2020-2021 and upgrade my overall assessment of the merit of the officer as very good or good from poor category, as the Hon'ble Court may deem fit and proper under the above mentioned facts and circumstances.

I shall be highly thankful to Hon'ble Court for this kind consideration in this regard.

With regards.

Date:- 23-06-2021

Yours faithfully,

 23/6/2021
(Rajesh Kumar-II)

Addl. District & Sessions Judge

Court No-3, Firozabad.

(I.D. No. UP5960)

Enclosure : As above.

E
1
3
6
7
8
9
10
11
12

CE

ASTB

न्यायालय श्रीमान सत्र न्यायाधीश महोदय, फिरोजाबाद ।

1379

स्थानान्तरण प्रा0 प0 सं0-*ln* तन 2020

मतिमानसिंह उ, करीब कर्ष पुत्र श्री निराल्तासिंह निवासी- ग्राम

राहज्जपुर धाना- शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद ।

— प्रार्थी/याची

बनाम

- 1- रवीकुमार पुत्र श्री पन्नालाल
- 2- सु0 अनीता पुत्री श्री पन्नालाल
- 3- सु0 रवीता पुत्री श्री पन्नालाल

- ‡ समस्त निवासीय- नला जीनवाई
- ‡ धाना-टूण्डला, जिला फिरोजाबाद।
- ‡ — मुल्जिमान/ विपक्षी

*Copy of order dt- 22.1.21
Hear. Registrar as per notice to ab. from the Presiding officer of the court concerned. Rlx 30.1.21 for hearing. Sell*

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र मिन्धानिव प्रार्थी/ पिता मृतका मतिमानसिंह मुकदमा उपरोक्त।


श्रीमानकी,

प्रार्थी त्विन्वय निम्नलिखित निवेदन करता है कि/-

1- यह कि एक फौजदारी वाद एल.टी. नं0- 104/2018 सरकार बनाम रवी-कुमार आदि अं0प्रा0- 302/34 आई.पी.सी. धाना टूण्डला ‡ फिरोजाबाद ‡ न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं03 महोदय फिरोजाबाद की अदालत में लम्बित है। उक्त प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा मुल्जिमानों से ताज कर जान के कारण प्रार्थी/ पिता मृतका को माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमे में परवी किये जाने हेतु परमिट किया गया ।

2- यह कि उक्त सत्र परीक्षण सं0- 104/2018 में उचित व सही निर्णय हेतु मृतका नीतादेवी का पयम विकित्सा करने वाले विकित्शक की साक्ष्य हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा न्यायालय में दिया गया जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय

दिनांक 19-01-2021 शोध साक्ष्य अभियोजन हेतु नियत की। उक्त नियत दिनांक को डॉक्टर साहब साक्ष्य हेतु न्यायालय में नहीं आये तो माननीय अति0 सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं03, फिरोजाबादद्वारा प्रार्थी/ मृतका के पिता परोकार



को हाटते हुए कहा गया कि अंतिम दिनांक- 29-01-2021 साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। तुम अपने तारीखी डॉक्टर को लेते ही जहाँ से ला लो लेकर आओ न्यायालय को जाई जिम्मेदारी नहीं है ; मुस्लिमान क्या तारोउ करते- करते बर जाये ; अगर साक्ष्य नहीं लाये तो अन्ती नियत दिनांक पर डॉक्टर की साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया जावेगा। और उपरोक्त मामले में मुस्लिमान के पिता फन्नाबात द्वारा भी दिनांक- 19-01-2021 को ही यह कहा गया कि तुम हमारे मुकदमे में इस न्यायालय से सजा उभी नहीं करा पाओगे ;

3- यह कि माननीय उच्च न्यायाधीश कोर्ट नं०3, फिरोजाबाद द्वारा कहे गये उक्त शब्दों से प्रार्थी/ पिता मुतजा बेराजद बेखद आहत हुआ और उसे पूर्ण विश्वास हो छै गया कि प्रार्थी की पुत्री की हत्या के इस मामले में माननीय अतिरिक्त उच्च न्यायाधीश कोर्ट नं०3 फिरोजाबाद द्वारा उसे न्याय नहीं मिल पावेगा। न्यायक्षेत्र में प्रार्थी का उपरोक्त महमला एच.टी. नं०- 104/2018 अरकांर अनाम रवीश्वर आदि धारा- 302/34 आई.पी.सी. धाना दूधला के उचितकामी निर्मित हेतु उसे किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना परम आवश्यक है।

अतः कोमान्डो से प्रार्थना हेतु प्रार्थी की पुत्री की हत्या के मामले में सही व उचित निर्णय हेतु माननीय उच्च न्यायालय अतिरिक्त उच्च न्यायाधीश महाराज कोर्ट नं०3, फिरोजाबाद में जोन्वत सत्र-परीक्षण नं०- 104/2018 अरकांर अनाम रवीश्वर आदि धारा- 302/34 आई.पी.सी. धाना दूधला को न्यायक्षेत्र में किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाने की आज्ञा साक्षर अर्थात् जमाना जामाकरा किया है।

दिनांक- 22-01-2021

प्रार्थी

Signature

धारा- अतिरिक्त

44-2753070282

महाराज कोर्ट नं०3, फिरोजाबाद

निवासी- ग्राम राहमपुर

धाना- शिवाजी जिला फिरोजाबाद।

स्वायत्त शीतल संघ, स्थायीशाला महालय, फिरोजाबाद।

US7
3

स्थापना प्रमाण सं- जन 2021

मतिदानसिंह

धनाम

रवीन्द्रार आदि ।

शापथपत्र मिळानिय मतिदानसिंह उग्र करीब कर्ष पुत्र की निरास्तसिंह
निवासी- ग्राम शहजपुर थाना- शिवाहाबाद जिला फिरोजाबाद ।
श्रीनाम्नी,

शापथकर्ता शापथपूर्वक निम्न स्थान करता है कि:-

- 1- यह कि शापथकर्ता उपरोक्त प्रार्थना पत्रों प्रार्थी/याची व हाथगत से वाचिक है एवं शापथपत्र देन में सहम है।
- 2- यह कि प्रस्तुत स्थापना प्रमाण सं० का पुत्र मजबूत गैर जिली धान व मसधिरा शान्ती सहो व सत्य है।
- 3- यह कि प्रस्तुत स्थापना प्रमाण सं० के कार्यन में यह शापथपत्र प्रस्तुत किया है वो प्रार्थना पत्र जा ही एक गाम है ।

सत्यापन-

सत्यापित किया जाता है कि शापथपत्र की मद सं०/सगायत
उ गैर जिली धान में सहो व सत्य है कोई तथ्य प्रिपाया
गया नहीं है ईश्वर मेरी मदद करे। सत्यापन आज दिनांक-
22-01-2021 को व मुळाम फिरोजाबाद में किया गया।



शापथकर्ता-उपरोक्त।

Pur 157(3)
2-3-21

न्यायालय श्रीमान सत्र न्यायाधीश महोदय, फिरोजाबाद

स्थानान्तरण प्रा0प0सं0- 130 सन 2021

शोभा देवी यादव पत्नी स्व0 श्री विनोद कुमार यादव निवाी 259 जैन नगर,
थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद।प्रार्थिया

बनाम

- 1- फतेह सिंह पुत्र प्रेम सिंह
- 2- निहाल सिंह पुत्र प्रेम सिंह
- 3- मिन्ना उर्फ मिन्टा उर्फ जसवीर पुत्र महेन्द्र सिंह
- 4- नहना उर्फ रंजीत पुत्र दयाल सिंह निवासी देवनगर, थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद।

निवासीगण भीमनगर
थाना दक्षिण
जिला फिरोजाबाद।

- 5- विमलेश पुत्र बंगाली बाबू
- 6- स्वतंत्र गुप्ता पुत्र करोडीलाल
- 7- मधू उर्फ मधुवा उर्फ मधुका पुत्र सतीशचन्द्र
- 8- रामू पुत्र लायक सिंह
- 9- राजा पुत्र अर्जुन
- 10- सत्यपाल पुत्र महेन्द्र

निवासी महावीर नगर, थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद।

- 11- मुकेश पुत्र ओमप्रकाश गुप्ता निवासी नई बस्ती थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद।

.....अभियुक्तगण



अंधारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट

जी0एस0टी0 नं0-23/2015

अ0सं0- 671/2014

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र अंधारा-408 जा0फौ0-

श्रीमानजी,

प्रार्थिया सविनय निम्न निवेदन करती है-

*Copied of order
dt. 01.3.21
Recd. Registrar's office
dt. 01.3.21
Hearing call for
from the President*

sd/ ✓
SESSIONS JUDGE
FIROZABAD

1- यह कि प्रार्थिया अ०सं०-411/2014 धारा-147,148,149,302,120बी आई०पी०सी० थाना ^{उत्तर}दक्षिण की वादिया है तथा अ०सं०- 671/2014 जी०एस०टी० नं०-23/2015, सरकार बनाम फतेह सिंह आदि, धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दक्षिण में गवाह है।

2- यह कि प्रार्थिया के देवर विनय कुमार यादव की दिनांक 25-05-2014 समय करीब सुबह 07:30 बजे उपरोक्त अभियुक्तगण ने हत्या कर दी थी जिसका मुकद्दमा प्रार्थिया ने थाना ^{उत्तर}दक्षिण पर कायम कराया था।

3- यह कि उक्त जी०एस०टी० नं०- 23/2015 में प्रार्थिया एवं अन्य गवाहान की गवाही हो चुकी है तथा अभियुक्तगण के व्यान भी अं०धारा-313 सीआर०पी०सी० के तहत अंकित हो चुके हैं।

4- यह कि उक्त केस बहस हेतु दिनांक 02-03-2021 नियत है तथा 26-02-2021 बहस हेतु नियत थी, इसी दौरान फतेह सिंह व निहाल सिंह का भाई ए०एस०जे० कक्ष सं०-3 गैंगस्टर के चैम्बर में गया तथा काफी देर तक चैम्बर में बैठा रहा।

5- यह कि इसके उपरान्त चैम्बर से निकलकर मिन्टा व नहना से बातचीत करने लगा तथा कहने लगा कि जज साहब अपनी ही विरादरी के हैं तथा मेरे नजदीकी रिश्तेदार हैं, मैंने उनसे कहकर नजदीक की तारीख लगवाई है तथा केस छूट जायेगा, इस प्रकार प्रार्थिया को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-3 गैंगस्टर कोर्ट से न्याय की आशा नहीं है।

6- यह कि अ०सं०- 411/2014 अं०धारा-धारा-147,148,149,302,120बी आई०पी०सी० थाना ^{उत्तर}दक्षिण में अभियुक्तगण सत्यपाल व रामू को छोड़कर सभी मुल्जिमान दोष सिद्ध किये गये हैं।

7- यह कि अ०सं०- 353/2008 धारा-307,302 आई०पी०सी० में भी अभियुक्तगण फतेह सिंह व निहाल सिंह की माननीय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-2 से दिनांक 27-04-2017 में आजीवन कारावास हो चुका है इसके बावजूद भी अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-3 गैंगस्टर अभियुक्तगण-

को छोडना चाहते हैं। इस कारण माननीय न्यायालय कक्ष सं०-३ गैंगस्टर से न्याय की आशा नहीं है।

८- यह कि प्रार्थिया उक्त केस में गवाह होने के कारण केस की पैरवी करने आती है तथा अभियुक्त फतेह सिंह के भाई महेन्द्र ने प्रार्थिया को धमकी दी है कि पैरवी करना छोड दे नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा, जो तेरे देवर विनय का हुआ तथा यह भी कहा कि जज साहब हमारे नजदीकी रिश्तेदार हैं। वे मेरे भाई को छोड देंगे इस कारण माननीय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-३ गैंगस्टर कोर्ट से न्याय की आशा नहीं है।

९- यह कि प्रार्थिया के न्यायहित को देखते हुये जी०एस०टी० नं०-२३/२०१५ सरकार बनाम फतेह सिंह आदि धारा-२/३ गैंगस्टर एक्ट थाना दक्षिण की पत्रावली किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना न्यायोचित है।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि जी०एस०टी० नं०-२३/२०१५ सरकार बनाम फतेह सिंह आदि धारा-२/३ गैंगस्टर एक्ट थाना दक्षिण सरकार बनाम फतेह सिंह की पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-३ गैंगस्टर कोर्ट से किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने की कृपा करें।

दिनांक:

प्रार्थिया

शोभा देवी पत्नी विनोद कुमार यादव

निवासी जैन नगर, थाना उत्तर

जिला फिरोजाबाद

द्वारा

अधिवक्ता



न्यायालय श्रीमान सत्र न्यायाधीश महोदय, फिरोजाबाद

स्थानान्तरण प्रा०प०सं०-

सन 2021

शोभा देवी यादव

.....प्रार्थिया

बनाम

फतेह सिंह आदि

.....अभियुक्तगण

अंधारा- 2/3 गैंगस्टर एक्ट

जी०एस०टी० नं०-23/2015

अ०सं०- 671/2014

शपथपत्र मिनजानिव शोभा देवी यादव पत्नी स्व० श्री विनोद कुमार यादव निवाी
259 जैन नगर, थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद, उम्र करीब वर्ष।
श्रीमानजी,

शपथिया शपथपूर्वक निम्न व्यान करती है-

- 1- यह कि शपथिया उक्त पते की निवासी है, तथा उक्त केस की गवाह एवं वादिया है तथा हालात मुकदमा के तथ्यों से भली भांति परिचित है।
- 2- यह कि शपथिया उक्त शपथपत्र, स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र के समर्थन में प्रस्तुत कर रही है जो स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र का ही एक भाग है।
- 3- यह कि स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में दिये गये सभी तथ्य सही व सत्य है कोई भी तथ्य झूठा अथवा गलत नहीं लिखाया गया है।
- 4- यह कि जी०एस०टी० नं०-23/2015 सरकार बनाम फतेह सिंह आदि धारा-2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दक्षिण सरकार बनाम फतेह सिंह की पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-3 गैंगस्टर कोर्ट से किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

सत्यापन:- सत्यापित किया जाता है कि शपथपत्र की मद सं०- 1 लगायत 4 मुझ शपथिया के निजी ज्ञान व विश्वास की सीमा में सत्य व सही है, जिसका सत्यापन आज दिनांक.....व मुकाम दीवानी फिरोजाबाद पर किया गया।

शपथिया.....उपरोक्त

AST 3



131व
66

न्यायालय श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय फिरोजाबाद

स्थानान्तरण प्रा0प0रा10

सन् 2020

श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री यादराम शर्मा निवारी 3/138 आगरा गेट थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद उम्र 48 वर्ष.....प्रार्थी/वादी

बनाम

1. शनि पुत्र अनिल
2. अनिल पुत्र दर्शनलाल
3. बन्दू पुत्र भरतपुर



समस्त निवासीगण आगरा गेट थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद
.....अभियुक्तगण

अन्तर्गत धारा 302 आई0पी0सी0
थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद

मुकद्दमा विचाराधीन मान्नीय ए0डी0जे0, तृतीय
महोदय फिरोजाबाद सरकार बनाम शनि आदि
अन्तर्गत धारा 302 आई0पी0सी0 एस0टी0न0
15/2014 थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद को
स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र।

स्थानान्तरण के आधार

श्रीमान जी,

प्रार्थी निम्नलिखित स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
कर रहा है :-

1. यहकि प्रार्थी उपरोक्त मुकद्दमें का वादी है जो उपरोक्त मुकद्दमें के तथ्यो से भलि भाँति परिचित है।

2. मुकद्दमे में प्रार्थी की सम्पूर्ण साक्ष्य लिखी जा हो सकी है। परन्तु लॉकडाउन के कारण वहस होकर निर्णय नही हो सका है। मुकद्दमे की सम्पूर्ण सुनवाई न्यायालय श्रीमान ए0डी0जे0 चतुर्थ महोदय फिरोजाबाद व न्यायालय श्रीमान ए0डी0जे0 तीतृय महोदय फिरोजाबाद में हुई है। परन्तु लॉकडाउन के पश्चात

3/10/21



*copy of order
dt. 16-10-2020
Hear. Register as a misc case.
Issue notice to abs. call for report
from the court. Considering
fix 27-10-2020
hearing.*

**SESSIONS JUDGE
FIROZABAD**

16-10-21

131व
67

अधिकारियो मे परिवर्तन कर दिया गया था मान्नीय ए0डी0जे0 तीतृय महोदय फिरोजाबाद न्यायालय मे परिवार न्यायालय के न्यायाधीश श्री राजेश कुमार द्वितीय महोदय फिरोजाबाद स्थानान्तरित होकर मान्नीय ए0डी0जे0 तीतृय महोदय के रूप मे सेवारत् है। कर दिये गये है।

3. यहकि मान्नीय न्यायालय ए0डी0जे0 तीतृय महोदय श्री राजेश कुमार जी जब परिवारिक न्यायाधीश फिरोजाबाद के पद पर कार्यरत थे। उस समय वादी के अधिवक्ता से तथा पारिवारिक न्यायालय मे सुनवाई के दौरान विधि विरुद्ध कार्य करने पर कुछ वाद विवाद उत्पन्न हुआ था जिसके आधार मान्नीय उच्च न्यायालय मे कन्टेंट प्रार्थना पत्र सिविल न0 6403/2019 दायर किया गया थ। जिसकी नकल संलग्न है। ? नकल संलग्न है
4. यहकि इसी प्रकार मान्नीय ए0डी0जे0 तीतृय महोदय फिरोजाबाद जब परिवार न्यायालय फिरोजाबाद मे सेवारत् थे। उस समय श्रीमती नीतू सिंह बनाम पुष्पेन्द्र सिंह अर्न्तगत धारा 125 सी0आर0पी0सी0 एवं पुष्पेन्द्र सिंह बनाम नीतू सिंह अधारा 13 एच0एम0पी0 विचाराधीन थी जिसको एकपक्षीय करके विवाह विच्छेद कर दिया था। एकपक्षीय आदेश अपास्त कराने हेतु रेस्टोरेसन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिस को निरस्त कर दिया था जिसकी शिकायत मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे हुई थी जिसकी जाँच भी फिरोजाबाद मे हुई थी। जो इस समय मान्नीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद मे भी विचाराधीन है। उसमे भी वादी का अधिवक्ता एक पक्षकार का वकील था।
5. यहकि उपरोक्त मान्नीय न्यायाधीश महोदय ए0डी0जे0 तीतृय के न्यायालय से न्याय की कोई आशा नही है। प्रार्थी/मुकद्दमा वादी को न्याय के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।
6. यहकि उपरोक्त परिस्थितियो एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का मुकद्दमा एस0टी0न0 15/2014 सरकार बनाम शनि आदि अधारा 302 आई0पी0सी0 थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद किसी अन्य न्यायालय मे स्थानांतरित होना न्यायहित मे आवश्यक है।

2
मुकद्दमा



1/2/18
68

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी
का मुकद्दमा एस०टी०न० 15/2014 मान्नीय न्यायालय
ए०डी०जे० तीतृय महोदय फिरोजाबाद के न्यायालय से अन्य
न्यायालय मे स्थानान्तरित करने का आदेश पारित करने की
कृपा करे श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

मुकेश

दिनांक 16/01/20

प्रार्थी/वादी

श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री यादराम
शर्मा निवासी 3/138 आगरा
गेट थाना दक्षिण जिला फिरो

द्वारा

RECEIVED
16/01/20





13/5
69

न्यायालय श्रीमान जिला एव सत्र न्यायाधीश महोदय फिरोजाबाद

स्थानान्तरण प्रा0पी0सा0

सन् 2020

श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री यादराम शर्मा निवासी 3/138 आगरा
गेट थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद उम्र 48 वर्ष.....प्रार्थी/वादी

वनाग

शनि पुत्र अनिल निवासी आगरा गेट थाना दक्षिण जिला
फिरोजाबादअभियुक्तगण

अन्तर्गत धारा 302 आई0पी0सी0
थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद

श्रीमान जी,



शपथ पत्र मिनजानिव श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री
यादराम शर्मा निवासी 3/138 आगरा गेट थाना दक्षिण जिला
फिरोजाबाद उम्र 48 वर्ष

शपथकर्ता शपथ पूर्वक ब्यान करता है :-

1. यहकि शपथकर्ता उरोक्त पते का निवासी हैं। तथा उक्त स्थान पर शपथकर्ता के नाम व बल्दियत का कोई अन्य व्यक्ति नहीं रहता है।
2. यहकि के शपथकर्ता के साथ संलग्न मद स0 1 लगायत 6 मेरे निजी ज्ञान मे है व विश्वास मे सत्य व सही है। जिसमे कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।
3. यहकि शपथकर्ता अपना शपथ पत्र संलग्न प्रार्थना पत्र के समर्थन मे प्रस्तुत कर रहा है। जिसे संलग्न प्रार्थना पत्र का ही भाग समझा जाये।

सत्यापन :- सत्यापित किया जाता है। कि शपथ पत्र मे 1 लगायत 3 मेरे निजी ज्ञान व विश्वास मे सत्य है। इसमे कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। जिसका सत्यापन आज में दिनांक.....को मुकाम दीवानी जिला फिरोजाबाद मे किया

शपथकर्ता.....उपरोक्त



जुमाना न अदा करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। अभियुक्त के द्वारा जेल व्यतीत की गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी। इस पंजिका में आदेशों के सारांश लाल रंग से अंकित किये गये हैं।

न्यायालय के मुंसरिम/रीडर द्वारा पूछने पर यह बताया गया कि इस न्यायालय में वर्तमान में फ्रीडिंग हेतु कोई पत्रावली शेष नहीं है न कोई पत्रावली अनडेटेड है। न्यायालय के मुंसरिम/रीडर व लिपिकगण को निर्देशित किया जाता है कि वह पत्रावलियों की फ्रीडिंग एवं अग्रिम तिथियां नियत करने में विशेष ध्यान रखेंगे।

इस न्यायालय में अनुरक्षित की जा रही अन्य पंजिकाओं का भी मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया जिसमें अन्य किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का उनके अधीनस्थ कर्मचारीगण के कार्य पर प्रभावी नियंत्रण है तथा न्यायालय का कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

दि 27-01-2021

Sanjeev Fauzdar
(संजीव फौजदार) 27/01/2021
जनपद न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

इस निरीक्षण टिप्पणी में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने के उपरान्त इस निरीक्षण टिप्पणी को अनुपालन आख्या सहित प्रशासनिक कार्यालय में प्रेषित किया जाये। तदुपरान्त इस निरीक्षण टिप्पणी की एक प्रति अनुपालन आख्या सहित माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रेषित की जाये।

दि 27-01-2021

Sanjeev Fauzdar
(संजीव फौजदार) 27/01/2021
जनपद न्यायाधीश,
फिरोजाबाद।

Sir
Noted
Completed
with
Kup
M
Sir
noted
Completed
with
Kup
M